



Section – 4(1)(b)(xvi)

The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use.

(सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशेषताएँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो, कार्यक्रम घंटे सम्मिलित हैं)

Public Information Officers (लोक सूचना अधिकारी)

Name & Designation	Contact	Email
First Appellate Authority (FAA) Prof. (Dr.) Puran Prabha Principal, Government College, Mahendergarh (Haryana)	01285- 220246	gc_mohindergarh@yahoo.com
State Public Information Officer Mr. Vijay Yadav Assistant Professor, Government College, Mahendergarh (Haryana)	94160- 64782	gc_mohindergarh@yahoo.com
Assistant State Public Information Officer Mr. Ravinder Computer Instructor Government College, Mahendergarh (Haryana)	01285- 220246	gc_mohindergarh@yahoo.com

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (<http://righttoinformation.gov.in/rti-actinhindi.pdf>) बनाया है जो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार सार्वजनिक प्राधिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिये भारतीय नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करता है। धारा 8 और 9 में सूचना की कुछ श्रेणियाँ दी गयी हैं जिन्हें प्रकटीकरण से छूट दी गयी है। मुख्य जनसूचना अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था भी की गयी है जो सूचना के अनुरोधों का कार्य देखेगा।

इस अधिनियम के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, महेन्द्रगढ़ का दायित्व

राजकीय महाविद्यालय, महेन्द्रगढ़ एक सार्वजनिक प्राधिकरण है जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित है। इस प्रकार, महाविद्यालय का दायित्व है कि वह जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराए।